न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

26.09.2025 सभी पांचों काराधीन अभियुक्तों को कारा से वर्चुअली प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मामले में आवेदक अभियुक्त नीरज गौतम के तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 10.09.2025 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

उपरोक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामले में उनके तरफ से पूर्व कोई अन्य उन्मोचन आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या इस विद्वान न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। इस मामले की प्राथमिकी सूचक के फर्दबयान पर उसके मामा की हत्या के लिए पीरबहोर थाना कांड संख्या– 103(1), 3(5), 61(2) तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक अभियुक्त का नाम इस मामले के सह–अभियुक्त के संस्वीकृति बयान में आया है तथा पुलिस आवेदक के सचेत कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की है। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान टी0आई0पी0 नहीं की गई है तथा किसी ने भी आवेदक की पहचान नहीं की है। पुलिस के द्वारा आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र सिर्फ सह–अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर समर्पित किया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि मृतक की पूर्व दुश्मनी है तथा उसका आपराधिक इतिहास है तथा उसे आगरा के मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया था तथा सूचना देने के बाद वह आगरा से पटना आकर रहने लगा था। पुलिस अभिरक्षा में दिए गए उक्त संस्वीकृति बयान का काई विधिक मूल्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पुलिस ने निजी दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया है और आवेदक की चेहरे की पहचान पुलिस या जनका के द्वारा नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि आवेदक के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन को स्वीकृत करते हुए उसके विरूद्ध लगाए गए सभी कथित आरोपों से मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है, अनुसंधान के क्रम में आवेदक का नाम आया है तथा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त समग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

लगातार
26.09.2025

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

द0प्र0स0 की धारा 227 में उल्लिखित प्रावधानों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय पाती है कि अभिलेख के इस प्रक्रम पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के सामग्री की उपलब्धता को नहीं देखना है अपितु न्यायालय को सिर्फ यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में आगे की कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया मामला उत्पन्न होता है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि घटना की तिथि एवं समय को इस कांड के मृतक अवधेश अग्रवाल जो पटना में रहकर ज्वेलरी का व्यवसाय कराता था तथा वह घटना की तिथि एवं समय को अपने दुकान से किराये वाले मकान में खाना खाने के लिए जा रहा था कि दो अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर आस–पास के लोग आये और जख्मी को पारस अस्पताल ले गये जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि घटना कारित करने वाले अपराधी उत्तर प्रदेश मथुरा से चार पहिया वाहन से आये तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन जिसका पंजीकरण संख्या BR01PB-6632 को जब्त किया गया एवं उसके चालक जितेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना को कारित करने वाले अन्य अप्राथिकी अभियुक्तों का नाम पता बताया गया है, जिसमें आवेदक अभियुक्त का भी नाम है। चालक जितेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया है कि उसके चाचा आवेदक ब्रज गोपाल के माध्यम से हत्या करने के लिए दो शुटर नीरज गौतम एवं ब्रज भूषण पंडित को तैयार किया गया। शुटर के द्वारा 20 लाख रुपए की सुपारी की मांग की गई, जिसे इस हत्या के मुख्य साजिशकर्ता निखिल कुमार गोयल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तदुपरांत चालक जितेन्द्र सिंह दोनों शुटरों को उक्त कार से पटना लाया और यहां घटना का अंजाम दिया गया, जो कांड दैनिकी की कंडिका 16, 20, 36, 41, 43, 44, 47, 52, 56, 58, 63, 67, 72, 115, 124, 127, 128, 131, 136, 140, 141 से स्पष्ट होता हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5), 61(2) तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा उन्हीं धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए इस मामले का दौरा सुपूर्द प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को किया गया है, जहां से स्थानांतरण के उपरांत इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

लगातार

26.09.2025 अतः अभिलेख के अवलोकन एवं उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध मामले में अग्रिम कार्यवाही एवं अभिलेख पर उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5), 61(2) तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतएव, उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 10.09.2025 में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है और तद्नुसार उसे **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 14.10.2025 को वास्ते आरोप गठन हेतु सभी अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
अपर सत्र न्या0–प्रथम